भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: aaostoreadmiv@gmail.com
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO /2786586-CAO./ FAX: 0291 – 2788706

फाइल संख्या11(2)2024-2025/प्रशासन चतुर्थ दिनांक :16.05.2024

खजूर फलों की नीलामी हेतु अल्पकालीन निविदा सूचना

भा.कृ.अनु.प. - केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर के बागवानी क्षेत्र तथा टेक्नोलोजी पार्क में खजूर के 145 पेड़ों में फल लगे हुए हैं । इन खजूर फलों की नीलामी फलों की ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2024 हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/पार्टी इत्यादि से मुहर बन्द अल्पकालीन निविदाएं दिनांक 24 मई, 2024 दोपहर 02.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है । निविदा प्रपत्र, विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है । यदि चाहें तो प्रपत्र संस्थान के कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

नोट : यह विज्ञापन दैनिक भास्कर (जोधपुर संस्करण) में तथा राजस्थान पत्रिका (जोधपुर संस्करण) में दिनांक 17.05.2024 को प्रकाशित है ।

भा. कृ. अनु. प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर (राजस्थान) 342 003 / Jodhpur (Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: aaostoreadmiv@gmail.com
Phone No. 0291 – 2787152 - AAO / 2786586-CAO./ FAX: 0291 – 2788706

फाइल संख्या:11(2)2023-2024/प्रशासन चतुर्थ दिनांक :17.05.2024

खजूर फलों की नीलामी हेतु निविदा आमंत्रण विवरण एवं निर्देशित नियम व शर्तें

निविदा स्वीकार करने की अंतिम दिनांक : 24.05.2024 समय दोपहर 02.30 बजे तक
निविदा खोलने की दिनांक : 24.05.2024 समय दोपहर 03.00 बजे

निविदा संबंधी विवरण, नियम व शर्ते इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.inपर उपलब्ध है । इच्छुक निविदा दाता इस वेब साइट से निविदा संबंधी विवरण डाउन लोड कर सकते हैं ।

प्रेषक :
सहायक प्रशासनिक अधिकारी,
भा.कृ.अनु.प.–के.शु.क्षे.अनु.सं. (काजरी),
जोधपुर । (राज0) 342003

सेवा में

मैसर्स / श्रीमान् ——————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————

विषय :भा.कृ.अनु.प.–के0शु0क्षे0अ0सं0, (काजरी) जोधपुर के बागवानी क्षेत्र में खजूर के फलों की ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2024 के लिए नीलामी हेतु निविदा।

प्रिय महोदय,

इस संस्थान के निदेशक की ओर से के.शु.क्षे.अनु.सं. (काजरी), जोधपुर के बागवानी क्षेत्र में खजूर के फलों की नीलामी ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2024 हेतु इच्छुक व्यक्ति / फर्म / पार्टी इत्यादि से मुहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । जिसका विस्तृत विवरण, नियम व शर्ते सलंग्न अनुसार हैं।

सभी प्रकार से पूर्ण सीलबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में दिनांक 24.05.2023 समय दोपहर 02.30 बजें तक प्रस्तुत कर दी जाये अथवा डाक / कोरियर द्वारा पहुॅच जानी चाहिए । निश्चित अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात निविदाएं स्वीकार्य नहीं होंगी ।

निविदाएॅ दिनांक 24.05.2024 समय दोपहर 3.00 बजे इस संस्थान की समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के सामने संस्थान के सभा भवन में खोली जाएगी ।

भवदीय

सलंग्न : उपरोक्तानुसार

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

बागवानी क्षेत्र में खजूर के फलों की नीलामी ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2024 सामग्री की विवरणी

क्रम संख्या	विवरण	संस्थान के बागवानी क्षेत्र में खजूर के पेड़ों की संख्या जिनमें खजूर फल लगे हैं ।	निविदादाता द्वारा कोट की जाने वाली दर
1.	बागवानी क्षेत्र में खजूर के फलों की नीलामी ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2024	145 खजूर के पेड. जिनमें खजूर फल लगे हैं ।	अंकों में रूपये .... शब्दो में रूपये ....

नोट : न्यूनतम सरकारी दर रूपये 2,60,000/- रखी गई है । इस सरकारी न्यूनतम दर से कम कोट की जाने वाली निविदादाता फर्म/पार्टी की निविदा दर मान्य नहीं होगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

दिनांक : .... निविदादाता/फर्म का नाम मय रबर मोहर..

खजूर के फलों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें-

1. धरोहर राशि उपरोक्त के लिए रूपये 26,000 (अक्षरे छब्बीस हजार मात्र) "ICAR Unit -CAZRI, Jodhpur" नाम से राष्ट्रीय अधिकृत बैंक द्वारा जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट (Demand Draft) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी निविदा मान्य नहीं होगी ।
2. सरकार द्वारा निर्धारित बिक्री कर/ जी.एस.टी. (if applicable) स्वीकृत उच्चतम सफल निविदादाता से अतिरिक्त सरकारी नियमानुसार अलग से देना होगा ।
3. इच्छुक निविदादाता उपरोक्त खजूर के पेड़ों का निरीक्षण निविदा प्रस्तुति की अंतिम दिनांक से पूर्व सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान इस संस्थान में उपस्थित होकर कर सकते हैं ।
4. पूर्ण रूप से भरी गई निविदा आवश्यक दस्तावेजों एवं बिड सिक्युरिटी के साथ सीलबन्द लिफाफे में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक व समय तक सहायक प्रशासनीक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ के कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है । डाक संबंधी विलम्ब के लिए काजरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । निविदा पत्र के लिफाफे के ऊपर **"खजूर के फलों की नीलामी के लिए निविदा"** अवश्य लिखें । निविदा उसी दिन दोपहर 3.00 बजे समिति द्वारा खोली जाएगी ।
5. सफल अधिकतम दर निविदा दाता /पार्टी को नीलामी के पश्चात फल की ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2024 के दौरान फल तुड़ाई संबंधित कार्य प्रातः 9.00 से दोपहर 3.00 बजे तक इस संस्थान के अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति में किया जायेगा, प्रत्येक पेड़ की उपज का तौल आदि का पूर्ण ब्यौरा रखा जायेगा । फलो की तुड़वाई अवधि के दौरान ही पेड़ों के बगैर नुक्सान पहुँचाये फलों को तोड़कर ले जाना होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अवधि घटायी अथवा बढायी जा सकती है ।
6. **नीलामी में पारित स्वीकृत अधिकतम राशि का आधा भाग नीलामी की बोली स्वीकृत होने के तुरन्त बाद एवं आधी राशि फलों की शुरू हो रही पहली तुड़वाई के दिन अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे ।**
7. **ठेकेदार को इस संस्थान के प्रांगण में विक्रय स्थल रखने की सुविधा दी जाएगी. बशर्ते ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि काजरी परिसर में किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया जाये। संस्थान में विक्रय स्थल तथा आस – पास के क्षेत्र की सुरक्षा एवं अनुशासन का दायित्व ठेकेदार का होगा। यदि बागवानी प्रभारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त सम्बन्ध में लापरवाही की सूचना दी जाती है तो ठेकेदार पर 5.000.00 रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। इस सम्बन्ध में फर्म/ठेकेदार द्वारा लेटर हैड पर हलफनामा/शपथ–पत्र देना होगा। (हलफनामा/शपथ–पत्र का प्रारूप सलंग्न है।)**
8. स्वीकृत अधिकतम सफल निविदादाता को इस संस्थान के प्रांगण में एक विकय स्थल रखने की वांछित सुविधा दी जाएगी ।
9. **इस संस्थान को अनुसन्धान और सेम्पलिंग के लिए निर्धारित 100 किलो ग्राम खजूर के अच्छे फलों की बिना मूल्य के आपूर्ति करनी होगी ।**
10. अन्य जानकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित वैज्ञानिक/सहायक प्रशासकीय अधिकारी से ले सकते हैं ।
11. सफल अधिकतम दर निविदादाता के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर राशि को नीलामी के पश्चात पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–काजरी को बिना कोई कारण बताए निविदा को स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है ।
12. **निविदादाता को इन नियम व शर्तों को हस्ताक्षर कर अपनी फर्म/पार्टी के नाम की मोहर लगाकर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।** नियम व शर्तो की प्रतिलिपि इस संस्थान की वेबसाइट www.cazri.res.in.से डाउन लोड की जा सकती है ।
13. अन्य शर्ते नीलामी के दिन निविदा खोलने से पूर्व संस्थान की समिति द्वारा सूचित की जाएगी ।
14. प्रस्तुत की गई निविदा हस्ताक्षरयुक्त होनी चाहिये । बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी ।
15. नीलामी की स्वीकृत शर्तो में से किसी भी शर्त का स्वीकृत सफल अधिकतम दर ठेकेदार/पार्टी द्वारा खजूर फल की ग्रीष्म ऋतु में फल तुड़ाई कार्य के दौरान उल्लंघन किये जाने पर निदेशक को इस नीलामी को निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेकेदार/पार्टी द्वारा इस संस्थान में जमा करायी गयी समस्त जमा राशि जब्त समझी जायेगी ।
16. ठेकेदार अथवा उसके मजदूरों द्वारा खजूर के पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान करने पर ठेकेदार को निदेशक द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि जमा करानी होगी ।
17. **सफल अधिकतम निविदादाता / ठेकेदार/फर्म को नीलामी की उच्चतम स्वीकृत दर राशि के अलावा सिक्युरिटी राशि (ठेके की स्वीकृत उच्चतम दर राशि का 6 प्रतिशत) भी अलग से जमा करनी होगी जो कि नीलामी की शर्तो की अनुपालना व खजूर फल तोडने की अवधि पूर्ण होने के 60 दिवस के पश्चात वापिस देय होगी ।**
18. खजूर फल तुड़ाई के लिए पेड़ हिलाये नहीं जाएंगे ।
19. ठेकेदार द्वारा फल तोड़ने की अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण से फलों का नुकसान होने की अवस्था में संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।
20. नीलामी छोडने या न छोडने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.– के0शु0क्षे0अ0सं0, जोधपुर को होगा ।
21. खजूर फलों की नीलामी की अवधि फल की ग्रीष्म ऋतु वर्ष 2024 के लिए नीलामी स्वीकृति की दिनांक से 31 जुलाई, 2024 तक प्रभावी होगी अथवा आदेशानुसार मान्य होगी ।
22. नीलामी के सफल अधिकतम दर स्वीकृत निविदादाता जिसके पक्ष में नीलामी होगी के अतिरिक्त अन्य निविदादाता/फर्म/पार्टी की धरोहर राशि को पंजीकृत डाक से लौटा दिया जाएगा ।
23. संस्थान के बगीचे में लगे खजूर पेड़ों की प्रत्येक पक्ति से तीन फलयुक्त पेड़ फसल संबंधी डाटा रिकार्डिंग हेतु चिह्नित किये जायेंगे । अतः इन चिह्नित प्रत्येक खजूर फलयुक्त पेड़ से फलों की तुड़ाई कार्यालय समय के दौरान संस्थान के अधिकृत स्टाफ की उपस्थिति में ही की जाएगी ।
24. खजूर फलों की तुड़ाई हेतु उचित परिपक्वता चरण डॉ. धीरज सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एंव विभागाध्यक्ष द्वितीय के निश्चित किए जाने पर ही करनी होगी ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

खजूर फलों की नीलामी की अन्य शर्तें एवं नियम –

1. निविदा पूर्ण विवरण सहित भरी जानी चाहिए, अधुरी कॉट–छॉट और अस्पष्ट निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
2. खजूर फलों की नीलामी हेतु निविदा दाता को निविदा प्रपत्र के साथ रूपये 26,000.00 (अक्षरे रूपये छब्बीस हजार) मात्र बिड सिक्युरिटी राशि ड्राफ्ट द्वारा जो कि "ICAR UNIT- CAZRI JODHPUR" के नाम देय हो संलग्न करना होगा । बिड सिक्युरिटी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
3. निविदा भरते समय ठेकेदार/फर्म अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर, निविदादाता ठेकेदार/फर्म का बैंक संबंधी विवरण (RTGS) एवं पेन संख्या अवश्य लिखें तथा पेन कार्ड (PAN allotted by Income tax department) की फोटो प्रतिलिपि संलग्न करें अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी ।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।
5. बिना कारण बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.–के.शु.क्षे.अनु.सं. (काजरी) को होगा ।
6. खजूर फलों की नीलामी के स्वीकृत सफलतम अधिकतम दर ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचाए। होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार/फर्म को करनी होगी ।
7. ठेकेदार को दैनिक कार्यावधि में ही अपने मजदूरों से कार्य करवाना होगा ।
8. खजूर फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान ठेकेदार/फर्म के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी ।
9. किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में निर्णय का अन्तिम अधिकार निदेशक, भा.कृ.अनु.प.– के.शु.क्षे.अनु.सं. (काजरी) का होगा ।
10. खजूर फलों की नीलामी में स्वीकृत फर्म को खजूर फल तौड़ने की कार्यावधि के दौरान खजूर फलों की नीलामी के नियम व शर्तो की अनुपालना तथा खजूर फलों की स्वीकृत राशि निर्देशित समयानुसार जमा कराने के संबंध में एक बन्धक वांछित स्टाम्प–पेपर पर भरकर नीलामी की दिनांक से 21 दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना होगा ।
11. खजूर फलों को तौड़ने के कार्य इत्यादि में लगाये गये व्यक्तियों की सूची संस्थान के संबंधित वैज्ञानिक अथवा इन्चार्ज, सुरक्षा अनुभाग को देनी होगी ।
12. ठेकेदार/फर्म को इस कार्य में लगे अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे ESI/EPF/Service Tax etc. का पूर्ण रूप से पालन करना होगा तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/श्रम कानूनों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों ,अनुदेशों व समय–समय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना करनी होगी और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।
13. फील्ड श्रमिक, फलों की तुड़वाई,एवं अन्य कार्यो में बाल श्रमिकों को नहीं लगाया जाएगा ।
14. काजरी परिसर में जंगली जानवरों तथा पशु पक्षियों को नुकसान पहुँचाना या इनका शिकार करना वर्जित है तथा इस परिसर में धुम्रपान/ मद्यपान तथा मादक पदार्थो का सेवन निषेध है । खजूर फल नीलामी में स्वीकृत फर्म/ पार्टी/ठेकेदार अथवा उनके श्रमिक/व्यक्ति द्वारा काजरी परिसर में ऐसा कृत्य करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध /अथवा संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध सरकारी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
15. COVID-19 नोवल कोरोना कोविड–19 के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी आदेशों, दिशा निर्देशों की अनुपालना सख्ती से करनी होगी ।
16. खजूर फलों की तुड़वाई संबंधी कार्यों में ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की थर्मल स्कीनिंग और सेनेटाजेशन अनिवार्य है तथा संस्थान परिसर में खजूर फलों की नीलामी संबंधी फील्ड कार्यों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी होगी ।
17. संबंधित ठेकेदार तथा उसके श्रमिकों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य है ।
18. संबंधित ठेकेदार को केवल वे ही श्रमिक खजूर फलों की तुड़वाई संबंधी कार्यो में लगाने होंगे जिनमें कोरोना वायरस से संबंधित कोई लक्षण नहीं है तथा उन सभी श्रमिको को मुँह पर मास्क, फेश शील्ड ए दास्ताने तथा हेण्ड सेनेटाईजर इत्यादि आवश्यक सामान कोरोना बचाव हेतु उपलब्ध कराना होगा ।
19. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन चतुर्थ
वास्ते निदेशक

Annexure-I

फर्म/एजेन्सी का विवरण

1. निविदादाता फर्म/एजेन्सी के प्रोप्राईटर का नाम : ....

2. निविदादाता फर्म/एजेन्सी का नाम एवं पूर्ण पता : मैसर्स ....
....
....
..........(a copy of address proof document duly self attested should be attached).

3. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालयः .... निवासः .... मोबाइल नं. ....

(ब) ई.मेल पता : ....

4. फर्म/एजेन्सी का विवरण : ....

(साझेदारी डीड/संविधान यदि सोसाइटी है तो) ....

5. अधिकृत डीलरशीप/एजेंसी का प्रमाणपत्र नम्बर : ....

6. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नम्बर : ....
(photocopyduly self attested should be attached)

7. फार्म उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा निर्गत सर्विस

8. टैक्स नम्बर/GSTIN/ Form GST REGnumber %--
----
issued by GOI and Govt. of Rajasthan

9. फर्म के बैंक का नाम व पता : ....

बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर :.. बैंक खाता नम्बरः ....

(सही सूचना के लिए निरस्त चैक की छाया प्रति संलग्न करें)

10. बिड सिक्युरिटी (Earnest Money)रू. 26,000.00 डी0डी0 नम्बरः .... दिनांकः ....
बैंक का नाम ....जो कि "ICAR Unit-CAZRI, Jodhpur"के पक्ष में देय हो ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय रबर मोहर
Signature of the bidder with seal

नोट : निविदा प्रपत्र को बिना कांट–छांट के साफ–सुथरा भर कर मोहर सहित हस्ताक्षर कर स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि/पंजीकृत डाक/त्वरित डाक/कोरियर डाक द्वारा देय तिथि 24.05.2024 **को दोपहर 2.30 बजे** तक या इससे पूर्व निदेशक, भा.कृ.अनु.प. – केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के नाम प्रशासन अनुभाग–चतुर्थ के टेन्डर बॉक्स में डालें। लिफाफे पर **"खजूर के फलों की नीलामी के लिए निविदा"** लिखा होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक द्वारा देरी से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी हेतु काजरी वेबसाइट : **www.cazri.res.in**देखें ।

Anneture - II

हलफनामा /शपथ–पत्र

मैसर्स..या उसका अधिकृत व्यक्ति..

......................यह शपथ लेता हूॅ / घोषणा करता हूॅ कि मेरी फर्म या मेरे श्रमिकों द्वारा काजरी संस्थान के परिसर में अनुशासन की पालना की जायेगी, साथ ही परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का पूर्ण ध्यान रखा जायेगा। फल खरीदने के लिए आने वाले लोगों को विक्रय स्थल के आस पास के क्षेत्र में न जायें उसका भी ध्यान ठेंकंदार द्वारा रखा जायेगा, अगर इस दौरान विक्रय स्थल के आस पास कोई अतिक्रमण या लापरवाही फर्म के द्वारा/ अधिकृत व्यक्तियो कें द्वारा या बाहर से आने वाले ग्राहकों द्वारा की जाती है तो उसका दायित्व फर्म का होगा और इसके लिए नियमानुसार जुर्माना राशि कार्यालय में जमा करा दी जायेगी।

दिनांक..

हस्ताक्षर

मैसर्स...

....